28/7/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित
वकील प्रतिवादी। प्रार्थी की बार-बार कॉल करने
पर न्यायालय समय में न्यायालय समय
समाप्ति तक समय 10, 11, 12, 01, 02, 03,
04, 05 बजे तक आवाजें लगायी गयी।
बावजूद वकील प्रार्थी/प्रार्थी की ओर से कोई
उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी/प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर
करवाकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम